ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची मध्य प्रदेश सरकार

हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धः डॉ. यादव

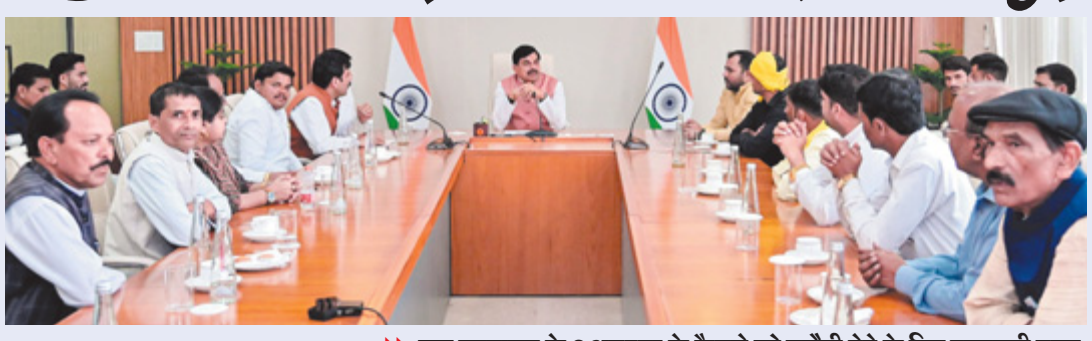

- उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देने के लिए एसएलपी दायर
- ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ओबीसी वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और आरक्षण के मामले में न्यायसंगत एवं तार्किक समाधान निकालने के लिए प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले का बिंदुवार अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में महाधिवक्ता कार्यालय ने शुक्रवार शाम 'स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश विरुद्ध आशिता दुबे एवं अन्य' मामले में एसएलपी दायर की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में ओबीसी महासभा के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर अद्यतन आंकड़ों के आधार पर संवैधानिक समाधान निकालने और ओबीसी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने की मांग की।

ओबीसी महासभा दिल्ली के प्रतिनिधिमंडल ने अधिवक्ता वैभव सिंह और इंजीनियर महेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में अपना पक्ष रखा। वहीं, ग्वालियर से आए प्रतिनिधिमंडल ने महासभा के संस्थापक विजय कुमार, प्रदेश प्रभारी जीतू लोधी और प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज धाकड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

सरकार ने सभी पक्षों से चर्चा का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण के विषय पर सर्वदलीय बैठक आयोजित करने के साथ ओबीसी संगठनों से भी चर्चा की गई थी। राज्य सरकार इस मामले को टालने के बजाय इसका समुचित समाधान निकालने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है।

जय मूवमेंट और आसपा का प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण की बहाली और 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर भर्ती की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने सरकार को दो से तीन दिन का समय दिया है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद संगठन ने कहा कि प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो 28 अक्टूबर को संभागीय स्तर पर ज्ञापन देकर आंदोलन तेज किया जाएगा। इसी मुद्दे पर जय मूवमेंट(ओबीसी) और आजाद समाज पार्टी (काशीराम) ने शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री कृष्णा गौर के आवास का घेराव किया। संगठनों ने ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। मांगें पूरी नहीं होने पर एक नवंबर को भोपाल में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी।

गौरतलब है कि नौ अक्टूबर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले वर्ष 2019 के कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। अदालत ने 14 प्रतिशत आरक्षण लागू रखने और होल्ड 13 प्रतिशत पदों को अनारक्षित चयन सूची से भरने के निर्देश दिए थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि एनएसजी ने साहस, अनुशासन, त्याग और वीरता के साथ देश की सुरक्षा में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उसका समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।

परिवहन सचिव मनीष सिंह ने किया सीहोर कार्यालय का निरीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मप्र सड़क परिवहन सचिव मनीष सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत सीहोर जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालयीन व्यवस्थाओं, अभिलेखों के संधारण और नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सेवाओं की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। सचिव ने कार्यालय के विभिन्न कक्षों और परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कर्मचारियों से चर्चा कर कामकाज के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में भी पूछा। श्री सिंह ने जिला परिवहन अधिकारी रितेश तिवारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें और सेवाएं देने में अनावश्यक देरी न हो। निरीक्षण के दौरान सचिव ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंचे नागरिकों से भी बातचीत की। उन्होंने परिवहन सेवाओं की प्रक्रिया, ऑनलाइन सुविधाओं और कार्यालय में उपलब्ध सेवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन को परिवहन संबंधी सेवाएं सरल, सुगम और निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता से निराकरण कर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

राहुल गांधी पर भाजपा का आरोप

भारत में बांग्लादेश जैसा आंदोलन खड़ा करना चाहती है कांग्रेसःलोया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजगोपाल लोया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर राजनीतिक विरोध के नाम पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता हासिल नहीं कर पाने के कारण कांग्रेस अब सत्ता हथियाने के लिए अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रही है।

श्री लोया ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस भारत में बांग्लादेश जैसा आंदोलन खड़ा करने का समर्थन करती है, जिसमें हिंसा और जान-माल का नुकसान हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बनाने का फैसला जनता करती है। कांग्रेस को मतदाताओं और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए।

उन्होंने राहुल गांधी के 13 अक्टूबर को दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना राजनीतिक रुख स्पष्ट करना चाहिए। श्र्भ लोया ने आंदोलन में भीड़ जुटाने के प्रयासों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि एक महीने की कोशिश के बाद राहुल गांधी के आंदोलन में सात से आठ हजार लोग ही शामिल हुए। हालांकि, इस दावे के समर्थन में विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर लोया ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 का विकल्प उपलब्ध है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), वीवीपैट और सॉफ्टवेयर हैकिंग को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भी निशाना साधा।

श्री लोया ने कहा कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाती है। उन्होंने कांग्रेस से संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करने की अपील की। मिर्ची बाबा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने दस्तावेजों की आवश्यकता का समर्थन किया और साधु-संतों को अपना सम्मान बनाए रखने की बात कही।

ट्विशा शर्मा मौत मामलाः सुको ने भोपाल में सुनवाई पर लगाई रोक

- मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका पर सुनवाई
- सास गिरिबाला सिंह की जमानत पर अब 26 अक्टूबर को होगी बहस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल की सत्र अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायालय ने दूसरे पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।

ट्विशा के पिता नवनीधि शर्मा ने याचिका दायर कर मामले की सुनवाई भोपाल से दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है। उनका कहना है कि मामले की सुनवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। इस बीच, ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब 26 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे सुनवाई निर्धारित की गई है। अधिवक्ता के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने के बाद उच्च न्यायालय ने अगली तारीख तय की है। जमानत पर सुनवाई को लेकर उच्चतम न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाई है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप पत्र में दहेज मृत्यु से संबंधित आरोप हटाकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप शामिल किया है। इसके बाद गिरिबाला सिंह की ओर से जमानत आवेदन में संशोधन की अनुमति मांगी गई थी। 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 को भोपाल स्थित अपनी ससुराल में फंदे पर मिली थीं। उनकी शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

अंगदान से तीन लोगों को मिला जीवन शिवानी को पैतृक गांव में गार्ड ऑफ ऑनर

भोपाल नईदुनिया प्रतिनिधिः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी स्थित ग्राम खापा खुर्द निवासी स्वर्गीय बिलाश टांटी शर्मा (शिवानी) के अंगदान से तीन लोगों को नया जीवन मिला है। सड़क दुर्घटना के बाद उन्हें भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ब्रेन डेड घोषित किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असहनीय दुख की घड़ी में परिजनों ने अंगदान का निर्णय लेकर मानवता, संवेदनशीलता और परोपकार की मिसाल पेश की है। राज्य शासन के निर्णय के अनुसार, शिवानी के पैतृक गांव में उनकी पार्थिव देह को मध्यप्रदेश पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।

मुरैना, मंदसौर में बौछारें पड़ीं, बने रहेंगे बादल

भोपाल नईदुनिया प्रतिनिधिः देश के अलग-अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बादल बने हुए हैं। साथ ही कहीं-कहीं वर्षा भी हो रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटों के दौरान शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक चंबल एक उज्जैन संभाग के जिलों में वर्षा हुई।

इसके तहत मेहगांव में 15, अंबाह में 14.6, मल्हारगढ़ में 12, श्यौपुर में 5, गोरमी में 4.5,मनासा में 3, मंदसौर, मुरैना में 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार को भी बादल बने रहने के साथ कहीं-कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। प्रदेश के शेष क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रह सकता है।

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में उत्तरी पंजाब पर एक पश्चिमी विक्षोभ हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। दक्षिणी हरियाणा और उससे लगे उत्तरी राजस्थान पर भी चक्रवात है। दक्षिणी राजस्थान एवं उससे लगे उत्तरी गुजरात भी चक्रवात मौजूद है। इसके अतिरिक्त उत्तरी हरियाणा पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि अलग-अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से अरब सागर से कुछ नमी मिल रही है। इस वजह से ग्वालियर, चंबल एवं उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा हो रही है।

शनिवार को भी इन क्षेत्रों में बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद बादल छंटने लगेंगे। इससे रात के तापमान में कुछ गिरावट होने लगेगी।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास

नप्र, भोपालः नाबालिग बालिका को होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी सुधांशु वर्मा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है।

विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोहरलाल पाटीदार ने यह फैसला सुनाया। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। वहीं, धारा 366 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रकरण के अनुसार, 17 मई 2021 को बालिका के माता-पिता ने जहांगीराबाद थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। 18 मई को बालिका घोड़ा नक्कास क्षेत्र से मिली।

- विशेष न्यायालय ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना
- पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश

जांच के दौरान बालिका ने बताया कि वह आरोपी को चार वर्ष से जानती थी और दोनों फोन पर बातचीत करते थे। 17 मई को आरोपी ने उसे मिलने के लिए बुलाया और कथित तौर पर जबरन होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गोविंदपुरा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अजय शंकर प्रजापति और ज्योति कुजूर ने पैरवी की। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने छिंदवाड़ा में वरिष्ठजनों से किया संवाद

वरिष्ठजनों के अनुभव से संगठन को मिलती है नई दिशा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा जिला कार्यालय में वरिष्ठजनों के साथ बैठक की। उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।

बैठक के बाद उन्होंने वीआईपी रोड स्थित खजरी चौक पर निर्माणाधीन भाजपा कार्यालय का निरीक्षण भी किया। चंद्रशेखर ने कहा कि वरिष्ठजनों का अनुभव, मार्गदर्शन और संगठन के प्रति समर्पण पार्टी की अमूल्य धरोहर है। वरिष्ठजनों ने अपने लंबे राजनीतिक और संगठनात्मक अनुभव से पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके अनुभवों से संगठन को नई दिशा मिलती है और कार्यकर्ताओं को जनसेवा के लिए प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजनों और युवा कार्यकर्ताओं के बीच संवाद, सहयोग और समन्वय से संगठन को नई ऊर्जा मिलती है। सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

बैठक में उन्होंने वरिष्ठजनों के सुझाव सुने और संगठन की कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश महामंत्री डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी, प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन, जिला प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला, सांसद विवेक बंटी साहू और जिला अध्यक्ष शेषराव यादव उपस्थित रहे बैठक के बाद चंद्रशेखर ने निर्माणाधीन भाजपा कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन निर्माण की प्रगति का जायजा लेते हुए कार्य निर्धारित समय सीमा में और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नया कार्यालय बनने से जिले में संगठनात्मक बैठकों, संवाद कार्यक्रमों और आगामी गतिविधियों के संचालन में सुविधा होगी। यह कार्यालय पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों के परिजनों से मिलेंगे मुख्यमंत्री

- नौ पुलिसकर्मियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति और लंबित भुगतान जल्द देने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए नौ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और लंबित देयकों का भुगतान जल्द दिलाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, एक सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 के बीच ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए नौ पुलिसकर्मियों के परिजनों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। इनमें निरीक्षक आशीष शर्मा, उपनिरीक्षक अशोक शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक मदनलाल निनामा, प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश भावेदी, सर्जन सिंह भील और परिमल सिंह तोमर तथा आरक्षक विकास चतुर्वेदी, महेश प्रसाद पाठक और महिला आरक्षक आरती पाल शामिल हैं।

पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने और बकाया भुगतान के प्रकरणों में तेजी से कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को की गई कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी, ताकि पुलिस स्मृति दिवस से पहले मामलों की समीक्षा की जा सके। यह दिवस कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है।

मप्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित, 4 जनवरी को आएगी अंतिम सूची

- 12 नवंबर को प्रारूप सूची का प्रकाशन
- 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश में एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में यह प्रक्रिया तय समय-सारणी के अनुसार पूरी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दो नवंबर 2026 तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। मतदाता सूची में नाम से संबंधित दावों और आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

निरीक्षण *बच्चों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से बनाई गई गौशाला की पेंटिंग भेंट की...*

दिव्यांग पुनर्वास केंद्र और उत्कृष्ट विद्यालय का किया निरीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को जनविश्वास अभियान के तहत मुरैना जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने दिव्यांगजनों के उपचार, पुनर्वास और समग्र विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने न्यूरोलॉजिकल पुनर्वास कक्ष, बाल पुनर्वास कक्ष, शिशु एवं बाल चिकित्सा उपचार कक्ष तथा विद्युत चिकित्सा कक्ष का अवलोकन किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों से संवाद कर उनकी गतिविधियों और अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से बनाई गई गौशाला की पेंटिंग भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनकी रचनात्मकता, प्रतिभा और आत्मविश्वास की सराहना की। उन्होंने दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, छड़ी, सहायक पट्टे और श्रवण यंत्र सहित विभिन्न सहायक उपकरण भी वितरित किए।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुरैना के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों से विज्ञान और गुरुत्वाकर्षण के विषय में चर्चा की तथा विद्यालय की प्रयोगशाला और विभिन्न कक्षाओं का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री के विद्यालय पहुंचने पर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 43/आर-3 स्नेह नगर रोड, गोपालगंज सागर (म.प्र.) - 470001 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन -1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक : डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक : अपूर्व तिवारी। * भोपाल कार्यालय फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. MPHIN/2015/61503, www.naiduniaonline.com